

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 368/18

सरकार

बनाम

श्री:

जनमन्द पुर
जन जोति जाख

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 13/03/2018

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री जनमन्द पुर श्री जन जाति जाख निवासी शिवाड़ा तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम शिवाड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 560 रकबा 50 बीघे किस्म गेहूँ भूमि से 500 मीटर से मजान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.16 का 50 गुना 825 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 120 पर
वर्ष 2017-18 में
की राशि तादादी रुपये 825
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 15/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार

महवा जिला दौसा